जीसीएमएस नं. 2026/37

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 11/2026

1. संदीप पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति नाई, निवासी चक 04 एच.एच., महियांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अमन पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति नाई, निवासी चक 04 एच.एच. महियांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कमला पत्नी श्री जसवंत सिंह जाति नाई, निवासी चक 04 एच.एच., महियांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जतिन कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह जाति कुम्हार, निवासी म.न. 210 रामदेव कॉलोनी, चक 5 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दुष्यंत ढुंढाड़ा पुत्र श्री भारत भूषण जाति कुम्हार , निवासी म.न. 210 रामदेव कॉलोनी, चक 5 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान– जरिए तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर दिनांक 22.01.2026 जिसके द्वारा विवादित कृषि भूमि चक 04 एचएच खाता संख्या 22 के मुरब्बा नंबर 41 की कुल 2.6180 है. भूमि का इंतकाल संख्या 654 रेस्पोडेंट के हम किया गया –मन्सुखी बाबत्।

उपस्थित :

1. श्री बलराम स्वामी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

:: आदेश:: दिनांक: 29.05.2026

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि

1. यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2026 विधि विरूद्ध पारित किया गया है। प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलाधीन आदेश सलंग्न अपील है, जो निरस्त करने योग्य है।
2. यह कि अपीलांटान निवेदन करते है कि अपीलांटान द्वारा रेस्पोडेन्टस सं. 1 व 2 को अपनी आराजी वाके चक 04 एच.एच. खाता संख्या 22 के मुरब्बा नंबर 41 की कुल 2.6180 है. में से किला नंबर 21/1 की 0.0812 है. गै.मु. वाणिज्यिक (कि.न. 21/3 के चिपती) कि.न. 22/2 में से 0.0568 है. गै.मु. वाणिज्यिक (दक्षिणी हिस्सा मुरब्बा लाईन के चिपती) कुल 0.1380 है. गै.मु. वाणिज्यिक का जरिए बैयनामा बेचान किया गया था। बैयनामा की चित्रप्रति अपील के साथ संलग्न है। बैयनामा के अनुसार उक्त गै.मु. वाणिज्यिक भूमि का इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम से किये

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा सहवन से अपीलांटान की सम्पूर्ण आराजी वाके चक 4 एच.एच., खाता सं. 22 के मुरब्बा नंबर 41 की कुल 2.6180 है. पर इंतकाल का नोट लगा दिया है। इसलिए तहसीलदार द्वारा पूर्ण आराजी पर लगाए गए इंतकाल का नोट पूर्णतया विधि विरूद्ध है, जबकि बैयनामा के अनुसार ही आराजी के इंतकाल का नोट लगाना चाहिए था। इसलिए अपीलकृत इंतकाल निरस्त किया जाकर जो पूरे रकबे पर नोट लगाया गया है। वह तुरंत प्रभाव से हटाया जावे।

3. यह कि तहसीलदार द्वारा इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांटान को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए इंतकाल दर्ज किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।
4. अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार की है। अपील सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। अपील पूर्णकोर्टफीस पर अंदर अवधि पेश की जा रही है।

अतः अपील अपीलार्थी पेश करके निवेदन है कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल संख्या 654 दिनांक 22.01.2026 को बैयनामा में वर्णित भूमि वाके चक 04 एच.एच. खाता संख्या 22 के मुरब्बा नंबर 41 के किला नंबर 21/1 की 0.0812 है. गै.मु. वाणिज्यिक (कि.न. 21/3 के चिपती) कि.न. 22/2 में से 0.0568 है. गै.मु. वाणिज्यिक (दक्षिणी हिस्सा मुरब्बा लाईन के चिपती) कुल 0.1380 है. गै.मु. वाणिज्यिक तक यथावत रखते हुए शेष भूमि पर जो इंतकाल का नोट लगाया गया है, उससे तुरंत प्रभाव से हटाया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

अपील पेश होने पर दर्ज की गई। रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि अपील की मद संख्या 1 से कोई इन्कारी नहीं है। अपील की मद संख्या 2 स्वीकार है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांटान की आराजी वाके चक 04 एच.एच. खाता संख्या 22 के मुरब्बा नंबर 41 की कुल 2.6180 है. में से किला नंबर 21/1 की 0.0812 है. गै.मु. वाणिज्यिक (कि.न. 21/3 के चिपती) कि.न. 22/2 में से 0.0568 है. गै.मु. वाणिज्यिक (दक्षिणी हिस्सा मुरब्बा लाईन के चिपती) कुल 0.1380 है. गै.मु. वाणिज्यिक जरिए बैयनामा दिनांक 20.01.2026 खरीद की थी। रेस्पोडेंट अपने खरीदशुदा उक्त रकबे का इंतकाल ही अपने नाम करवाने के हकदार हैं, लेकिन तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा सहवन से अपीलांटान के संपूर्ण रकबा वाके चक 04 एच.एच. खाता संख्या 22 के मुरब्बा नंबर 41 की कुल 2.6180 है. का इंतकाल हम रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज कर दिया गया है। इसलिए बैयनामा के अनुसार उक्त 0.1380 है. गै.मु. वाणिज्यिक का इंतकाल संख्या 654 दिनांक 22.01.2026 रेस्पोडेंट संख्या 1व 2 के नाम यथावत रखा जाकर अपीलांटान के शेष रकबे पर नोट हटा दिया जावे तो हम रेस्पोडेंटान संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमारी सहमति है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतः अपील का जवाब रेस्पो. संख्या 1 व 2 की ओर से पेश करके निवेदन है कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल संख्या 654 दिनांक 22.01.2026 को बैयनामा में वर्णित भूमि वाके चक 04 एच.एच. खाता संख्या 22, मुरब्बा नंबर 41 के किला नंबर 21/1 की 0.0812 है. गै.मु. वाणिज्यिक (कि.न. 21/3 के चिपती) कि.न. 22/2 में से 0.0568 है. गै.मु. वाणिज्यिक (दक्षिणी हिस्सा मुरब्बा लाईन के चिपती) कुल 0.1380 है. गै.मु. वाणिज्यिक तक इंतकाल हम रेस्पोडेंटान संख्या 1 व 2 के नाम यथावत रखते हुए शेष भूमि पर जो इंतकाल को नोट लगाया गया है उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाता है तो इसमें हम रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का कोई उजर व एतराज नहीं है, बल्कि हम पूर्ण रूप से सहमत हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांटान द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 को अपनी आराजी वाके चक 04 एच.एच. खाता संख्या 22 के मुरब्बा नंबर 41 की कुल 2.6180 है. में से किला नंबर 21/1 की 0.0812 है. गै.मु. वाणिज्यिक (कि.न. 21/3 के चिपती) कि.न. 22/2 में से 0.0568 है. गै.मु. वाणिज्यिक (दक्षिणी हिस्सा मुरब्बा लाईन के चिपती) कुल 0.1380 है. गै.मु. वाणिज्यिक का जरिए बैयनामा बेचान किया गया था। बैयनामा की चित्रप्रति अपील के साथ संलग्न है। बैयनामा के अनुसार उक्त गै.मु. वाणिज्यिक भूमि का इंतकाल रेस्पोडेंटस् संख्या 1 व 2 के नाम से किये जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा सहवन से अपीलांटान की संपूर्ण आराजी वाके चक 4 एच.एच. खाता सं. 22 के मुरब्बा नंबर 41 की कुल 2.6180 है. पर इंतकाल का नोट लगा दिया है। इसलिए तहसीलदार द्वारा पूर्ण आराजी पर लगाए गए इंतकाल का नोट पूर्णतया विधि विरूद्ध है, जबकि बैयनामा के अनुसार ही आराजी के इंतकाल का नोट लगाना चाहिए था। इसलिए अपीलकृत इंतकाल निरस्त किया जाकर जो पूरे रकबे पर नोट लगाया गया है वह हटाया जावे। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल संख्या 654 दिनांक 22.01.2026 को बैयनामा में वर्णित भूमि वाके चक 04 एच.एच. खाता संख्या 22 के मुरब्बा नंबर 41 के किला नंबर 21/1 की 0.0812 है. गै.मु. वाणिज्यिक (कि.न. 21/3 के चिपती) कि.न. 22/2 में से 0.0568 है. गै.मु. वाणिज्यिक (दक्षिणी हिस्सा मुरब्बा लाईन के चिपती) कुल 0.1380 है. गै.मु. वाणिज्यिक तक यथावत रखते हुए शेष भूमि पर जो इंतकाल का नोट लगाया गया है, उसे हटाया जावे।

रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल संख्या 654 दिनांक 22.01.2026 को बैयनामा में वर्णित भूमि वाके चक 04 एच.एच. खाता संख्या 22, मुरब्बा नंबर 41 के किला नंबर 21/1 की 0.0812 है. गै.मु. वाणिज्यिक (कि.न. 21/3 के चिपती) कि.न. 22/2 में से 0.0568 है. गै.मु. वाणिज्यिक (दक्षिणी हिस्सा मुरब्बा लाईन के चिपती) कुल 0.1380 है. गै.मु. वाणिज्यिक तक इंतकाल हम रेस्पोडेंटान संख्या 1 व 2 के नाम यथावत रखते हुए शेष भूमि पर जो इंतकाल को

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नोट लगाया गया है उसे हटाया जाता है तो रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का कोई उजर व एतराज नहीं है, बल्कि हम पूर्ण रूप से सहमत हैं।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के इंतकाल संख्या 654 दिनांक 22.01.2026 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि इंतकाल संख्या 654 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। बल्कि पंजीकृत बैयनामा संख्या 20260310310104 दिनांक 22.01.2026 के आधार पर ऑटो म्यूटेशन (स्वतः नामांतरणकरण) हो गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की प्रति तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा किसी प्रकार का कोई उजर व एतराज अपनी बहस में नहीं दर्शाया गया है बल्कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल संख्या 654 दिनांक 22.01.2026 को बैयनामा में वर्णित भूमि वाके चक 04 एच.एच. खाता संख्या 22, मुरब्बा नंबर 41 के किला नंबर 21/1 की 0.0812 है. गै.मु. वाणिज्यिक (कि.न. 21/3 के चिपती) कि. न. 22/2 में से 0.0568 है. गै.मु. वाणिज्यिक (दक्षिणी हिस्सा मुरब्बा लाईन के चिपती) कुल 0.1380 है. गै.मु. वाणिज्यिक भूमि का इंतकाल जो रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किया गया है की हद तक यथावत रखा जाता है। चक 04 एच. एच. खाता संख्या 22, मुरब्बा नंबर 41 की शेष भूमि का जो इंतकाल संख्या 654 दिनांक 20.01.2026 रकबा दर्ज किया गया है, उसे निरस्त कर पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एंव रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशा0), श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

Scanned with OKEN Scanner